मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 7 जुलाई, 1999 (आषाढ 16,1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र भंवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1995) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकान्त शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, बैतूल जिले के भीमपुर एवं शाहपुर विकास खण्डों में मलेरिया रोग से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, अनूप मिश्रा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के दो श्रमिकों द्वारा आत्मदाह किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के -

(क) कस्बा सेमरिया में अस्पताल भवन बनाये जाने;
(ख) सेमरिया-चन्दरेह मार्ग का डामरीकरण कराये जाने ;
(ग) देवगढ़-माटा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(घ) बम्हनी-मगरोहर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पंचायत टेढ़ी के बधवा टोला एवं करहीबाह मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने, एवं

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम करचुलहा के पास उमड़ेर नदी पर पुल बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 5 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 582) के उत्तर में संशोधन करने के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे.

6. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

-2-

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 27 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी ~~(संशोधन)~~ विधेयक, 1999 (क्रमांक 28 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

30 मि. (3) श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 19 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री डोमन सिंह नगपुरे, राज्य मंत्री श्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 20 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) श्री नन्द कुमार पटेल, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 21 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे (6) श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1999 (क्रमांक 22 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा.

3 घन्टे
(शेष 2 घन्टे 15 मि.) मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः).

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 6 जुलाई, 1999